राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज०)

दिनांक/हस्ताक्षर	फर्द अहकाम	टिप्पणी
16.10.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। साक्ष्य पेश करने हेतु एक अवसर चाहा। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एवं आदेश दिनांक 27.10.25 को पेश हो।	
27.10.25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व सरकार पैरोकार उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि अमरा पिता भेरू व अमरलाल पिता भेरूलाल एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील-ज़ाब्ता से अंग कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 50/23
दायर दिनाँक :— 21.02.2023
निर्णय दिनाँकः— 27.10.2025

उनवान :— बनवारीलाल
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाशचन्द वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी बनवारी लाल पिता अमरलाल जाति मेहर निवासी जावर तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम जावर पटवार मण्डल जावर तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 10(पुराना 8) खसरा नं0 1335/418 की 0.1942 हेक्टेयर आराजी के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पिता का नाम "अमरा पिता भेरू" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी के पिता का नाम "अमरलाल पिता प्रभुलाल" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के पिता के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम जावर की उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम "अमरा पिता भेरू" के स्थान पर "अमरलाल पिता प्रभुलाल" संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 50/23
उनवान :— बनवारीलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—27.10.2025

प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी/सरकार पैरोकार उक्त वाद में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे साबित होता हो कि अमरा पिता भेरू एवं अमरलाल पिता प्रभुलाल एक ही है। अतः प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना—पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि अमरलाल पिता प्रभुलाल ही अमरा पिता भेरू है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा अमरलाल पिता प्रभुलाल को गलत तरीके से जमाबंदी में अमरा पिता भेरू दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना